उपस्थितिः— श्री बसंत कुमार,
अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद—प्रथम, समस्तीपुर.
अग्रिम जमानत आवेदन सं.0—1771 / 2026
सागर कुमार बनाम बिहार राज्य
आदेश दिनांक—13.07.2026

अन्तर्गत न्यायालय, अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद—प्रथम, समस्तीपुर

(उजियारपुर थाना कांड संख्या—237 /2026 से उत्पन्न, अन्तर्गत धारा—30(ए),41(1), 41(2) बिहार मद्यनिषेध उत्पाद एवं संशोधन अधिनियम—2022.) भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम—482 से संबंधित।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0—1771/2026

1. **सागर कुमार,** पिता—हरेन्द्र राय
निवासी ग्राम— शाहपुर दियारा थाना—सोनपुर, जिला— सारण।

आवेदक की तरफ से ....श्री विश्व विजय कुमार विद्वान अधिवक्ता।

बनाम

बिहार सरकार..विपक्षी श्री देवेश कुमार विशेष लोक अभियोजक उत्पाद।

दिनांक	आदेश फलक	टिप्पणी
13.07.2026	1. उपरोक्त वर्णित अग्रिम जमानत आवेदन अभियुक्त/आवेदक रंजीत कुमार, जो **उजियारपुर थाना कांड संख्या—237 /2026 से उत्पन्न, अन्तर्गत धारा— 30(ए),41(1),41(2) बिहार मद्यनिषेध उत्पाद एवं संशोधन अधिनियम—2022** से संबंधित है, जिसकी एक प्रति विद्वान विशेष लोक अभियोजक उत्पाद को प्राप्त पहले से ही प्राप्त कराया गया है। 2. केस डायरी और आपराधिक इतिहास की मॉग की गई थी जो अभिलेख पर अप्राप्त है। 3. संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है ,कि सूचक राहुल कुमार रजक पु.अ.नि. उजियारपुर द्वारा यह अभियोग लाया गया है कि दिनांक 14.06. 2026 को समय 17:00 बजे संध्या गश्ती के क्रम में समय 21:30 बजे गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि विजय लाईन होटल के पास ट्रक रजी नं. —जेएच02बीएक्स7247 में विदेशी शराब है। सूचना के सत्यापन हेतु समय घटनास्थल पर पहुंचे जहां वाहन को देख दो**(2)** व्यक्ति खेत की तरफ भागने लगा जो अंधेरे का फायदा उठा कर भागने में सफल रहा। उक्त ट्रक को पुलिस अभिरक्षा में लेकर थाना आए इस आशय का सनहा नं. —568 /26 दर्ज किए। दिनांक 15.06.2026 को उक्त वाहन का विधिवत तलाशी लिए जिसमें 871.32 (आठ सौ एकहत्तर लीटर बत्तीस एमएल) लीटर विदेशी शराब और अन्य सामान बरामद हुआ जिसका विधिवत जप्ति सूची बनाकर जप्त किया। 4. आवेदक/ अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए कथन किये कि आवेदक /अभियुक्त निर्दोष है। आवेदक/ अभियुक्त का किसी उपरी न्यायालय में अग्रिम	

उपस्थितिः– श्री बसंत कुमार,
अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद–प्रथम, समस्तीपुर.
अग्रिम जमानत आवेदन सं.0–1771/ 2026
सागर कुमार बनाम बिहार राज्य
आदेश दिनांक–13.07.2026

	जमानत या नियमित जमानत आवेदन लम्बित नहीं है। आवेदक/ अभियुक्त का एक भी आपराधिक इतिहास नहीं है और तथाकथित वाहन का स्वामी है। इनके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। अतः आवेदक को अग्रिम जमानत देने की कृपा की जाये। 5.विद्वान विशेष लोक अभियोजक उत्पाद अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किये और यह भी कथन किये कि बिहार राज्य में धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के संदर्भ में धारा–76(2) के अधीन बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत यह आवेदन स्वीकृति योग्य नहीं है। 6. दोनों पक्षों को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सूचक राहुल कुमार रजक पु.अ.नि. उजियारपुर द्वारा यह अभियोग लाया गया है कि दिनांक 14.06.2026 को समय 17:00 बजे संध्या गश्ती के क्रम में समय 21:30 बजे गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि विजय लाईन होटल के पास ट्रक रजी नं. –जेएच02बीएक्स7247 में विदेशी शराब है। सूचना के सत्यापन हेतु समय घटनास्थल पर पहुंचे जहां वाहन को देख दो**(2)** व्यक्ति खेत की तरफ भागने लगा जो अंधेरे का फायदा उठा कर भागने में सफल रहा। उक्त ट्रक को पुलिस अभिरक्षा में लेकर थाना आए इस आशय का सनहा नं. –568 /26 दर्ज किए। दिनांक 15.06.2026 को उक्त वाहन का विधिवत तलाशी लिए जिसमें 871.32 (आठ सौ एकहत्तर लीटर बत्तीस एमएल) लीटर विदेशी शराब और अन्य सामान बरामद हुआ जिसका विधिवत जप्ति सूची बनाकर जप्त किया। जिसके उपरान्त स्वलिखित आवेदन थाना में दिए और **धारा–30(ए),41(1),41(2) बिहार मद्यनिषेध उत्पाद एवं संशोधन अधिनियम–2022** में प्राथमिकी दर्ज की गई। 7.यह वाद अभी अनुसंधान के अधीन है अभियुक्त का तीन **(3)** आपराधिक इतिहास है, तथा **धारा–30(ए),41(1),41(2) बिहार मद्यनिषेध उत्पाद एवं संशोधन अधिनियम–2022** के अंतर्गत प्रथमदृष्टया मामला बनता प्रतीत होता है और धारा–76(2) के अधीन बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत यह आवेदन स्वीकृति योग्य नहीं है। उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए मैं तथा अभियुक्त सागर कुमार को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायसंगत नहीं समझता हूँ, अत : उपरोक्त अग्रिम जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है। लेखापित विशेष न्यायाधीश उत्पाद प्रथम, समस्तीपुर। 13.07.2026	

उपस्थितिः– श्री बसंत कुमार,
अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद–प्रथम, समस्तीपुर.
अग्रिम जमानत आवेदन सं.0–1771/ 2026
सागर कुमार बनाम बिहार राज्य
आदेश दिनांक–13.07.2026